जिला उद्यान अधिकारी, पीलीभीत
जनसूचना अधिकार के अन्तर्गत 16 बिन्दुओं पर सूचना

क्रम सं0	बिन्दु	बिन्दुवार सूचना
1	अपने संगठन की विशिष्टियां कार्य एवं कर्तव्य	किसानों के उत्पादन बढ़ाने हेतु प्रमाणित बीज, पौध निवेशों की आपूर्ति प्रदर्षन ,प्रचार/प्रसार किया जाता है। औद्योनिक उत्पादन से संबंधित आंकड़ों को संकलित कर सूचना साप्ताहिक, पाक्षिक एवं मासिक प्रेषित की जाती है।`
2	अपने अधिकारियों की षक्तियां एवंकर्तव्य	कर्मचारी एवं अधिकारी राज्यसरकार के अधीन कार्य करते हैं और राज्यसरकार के अधीन ही शासकीय कार्य सम्पन्न करते है।
3	निर्णय पारित करने की प्रक्रिया और इन के अन्तर्गत पर्यवेक्षण और जबाबदेही रीतियां	`क्रम स`निम्नअधिकारी/कर्मचारी कार्यरत हैं। जिला उद्यान अधिकारी, अपर उद्यान अधिकारी उद्याननिरीक्षक,सहायक उद्यान निरीक्षक, प्रभारी पौधषाला लेखाकार, कार्यालय सहायक, चतुर्थश्रेणी कर्मचारी`कर्मचारी आदि कार्यरत हैं। शासन द्वारा संचालित कार्यक्रम का संचालन/निरीक्षण/पर्यवेक्षण, किया जाता है। कार्यालय ईदगाह के सामने पीलीभीत में स्थित है।
4	अपने कार्यों कोसम्पादित करने हेतु अपनाया जाने वालामापदण्ड	जिला उद्यान अधिकारी, नियंत्रण अधिकारी का पद सृजित है जिनके नियंत्रण में अपर उद्यान अधिकारी, वरिष्ठ उद्यान निरीक्षक, उद्यान निरीक्षक, सहायक उद्यान निरीक्षक, पौधषाला प्रभारी लेखाकार, कार्यालय सहायक, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी रहकर शासकीय कार्य सम्पन्न करते हैं।
5	अपने कर्तव्यों के निर्वहन हेतु कर्मचारी द्वारा प्रयुक्त अपने नियंत्रणाधीन नियमों, विनियमों, निर्देषों, निर्देषिकाओं तथा अभिलेख	संस्था द्वारा जिला उद्यान अधिकारी, अपर उद्यान अधिकारी, वरिश्ठ उद्यान निरीक्षक, प्रभारी पौधशाला, नलकूप चालक, कार्यालय सहायक, लेखाकार, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी तथा अन्य कर्मचारी जो कार्यरत हैं को शासनादेश एवं पूर्व घोषित नियमावली के अनुसार कार्य करते हुए अभिलेख सुरक्षित रखे जाते हैं।
6	अपने अधीन या धारित अभिलेखों को कोटियों का विज्ञापन	शासन द्वारा प्रदत्त अभिलेख पूर्ण कर सुरक्षित रखे जाते हैं। नियमानुसार अवलोकन एवं कार्यवाही प्रस्तावित की जाती हैं
7	कोई प्रबन्ध जो परामर्श के लिए अस्तित्व में है या जिसके द्वारा प्रत्यावेदन किया जाता है वे लोग जो कि इसके नीति निर्धारण या प्रवर्तन में भाग लेने का विवरण	इस संस्था का उपनिदेशक उद्यान के निर्देशन तथा जिला स्तर की कमेटियों जिसमें जनप्रतिनधि भाग लेते हैं, कार्यक्रम को अनुमोदित कराया जाता है।

8	बोर्डों, परिषवों, समितियों और अन्य निकाय जो कि 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों से इसके भागरूप में गठित है या इसके सलाल के लिए काविवरण और बोर्डों, परिषदों, सिमतियें और अन्य निकाय जो लोगों के लिए खोले गये हैं या बैठकों की संक्षिप्त रिपोर्ट जो लोगों की पहुंच के अधीन का विवरण	जिला प्रशासन की बैठक में शासन की मंशा के अनुरूप समस्त जनप्रतिनिधियों की राय/सुझाव लिए जाते हैं तदनुसार औद्यानिक कार्यक्रमों का संचालन किया जाता है।
9	अपने अधिकारियों तथा कर्मचारियों निदेशिका	इस संस्था के कर्मचारी राज्य सरकार के नियंत्रण में कार्यवाही सुनिष्चित करते हैं और राज्य सरकार के निर्गत निर्देशों का पालन करते हैं।
10	अपने प्रत्येक अधिकारियों व कर्मचारियों को प्राप्त मासिक वेतन/पारितोषिक इसके अन्तर्गत प्रतिकर का ढंग जो कि विनियमों द्वारा उपबंधित है, भी सम्मिलित है।	संस्था नियमावली के अनुसार कर्मचारियों के आंकड़े उपलब्ध कराते हैं तथा त्रैमासिक आंकड़े उपनिदेशक उद्यान, बरेली मण्डल एवं निदेषक उद्यान लखनऊ को उपलब्ध कराये जाते है।
11	अपने प्रत्येक अभिकरणों का बजट जो उनसे संबंधित है जिसमें सभी योजनाओं प्रस्तावित व्यय और किये गये भुगतानों का विवरण	इस संस्था का बजट जिला योजना तथा राज्य सेक्टर से प्राप्त होता है। जिसका समुचित उपभोग नियमानुसार करके सम्बन्धित अधिकारियों को मासिक प्रत्येक माह में व्यय विवरण भेजा जाता है।
12	उपदान कार्यक्रम में निष्पादन का ढंग, जिसके अन्तर्गत धन का विवरण तथा हिताधिकारियों का विवरण जो ऐसे कार्यक्रम से सम्बद्ध होगे, का विवरण	जिला एवं राज्य सेक्टर योजनाओं का बजट सीधे प्राप्त होता है तथा ट्रेजरी के माध्यम से आहरण कर अनुदान कार्यक्रमों में लाभार्थियों को विभागीय निर्देषानुसार निवेशों का वितरण किया जाता है तथा लाभार्थी सूचियों को अनुरक्षित कर उपनिदेशक उद्यान, बरेली मण्डल एवं निदेशक उद्यान लखनऊ को प्रेषित किया जाता है।
13	अपने द्वारा अनुदत्त छूटों, अधिकार पत्रों अधिकृतियों के प्राप्तकर्ताओं का विवरण	समय–समय पर शासन के निर्देशानुसार कृषकों को कृषि निवेशों पर अनुदान दिया जाता है तथ उत्पादन बढ़ाने हेतु फसलों का प्रदर्शन कृषकों के यहां कराया जाता है।
14	अपने द्वारा प्रदान की गयी सूचना या प्रदान न की गयी सूचना, इलेक्ट्रानिक प्रारूप में निबद्ध की गयी सूचना का विवरण	संस्थान द्वारा समस्त सूचनाएं संकलित कर उच्चाधिकारियों को भेजी जाती हैं आवश्यकतानुसार प्रिन्ट मीडिया, इलेक्ट्रानिक मीड़िया से प्रचार–प्रसार किया जाता है।
15	सूचना प्राप्त करने हेतु नागरिकों को	ऐसी कोई व्यवस्था उपलब्ध नहीं है।

	उपलब्ध सुविधाएं इसके अन्तर्गत पुस्तकालय के कार्य की अवधि या अध्ययन कक्ष, अगर लोगों के प्रयोग के लिए हैं का विवरण। सूचना	
16	लोक सूचना अधिकारी का नाम, पद तथा अन्य विवरण	डा0 जी0के0 सरकार, उपनिदेशक उद्यान, प्रथम अपीलीय अधिकारी, विजय चन्द, जनसूचना अधिकारी, जिला उद्यान अधिकारी एवं राम किशोर, सहायक जनसूचना अधिकारी, वरिश्ठ उद्यान निरीक्षक।

षासनादेष संख्या 556/43–2–2008–15/2 3 /200 टी सी दिनांक 06 जून 2008 का संलग्नक

विभाग का नाम :– उघान एवं खाघ प्रंसस्कण विभाग उ0 प्र0

क्रम संख्या	**विभाग तथा विभाग के नियंत्रणाधीन अधीनस्थ कार्यालय/ सार्वजनिक निगम/ उपक्रम / परि द/वोर्ड / संस्था का नाम**	**अधिनियम की धारा 4 1 के अन्तर्गत तैयार कर वेबसाइट पर अपलोड किये गये मैनुअल की संख्या**	**अवषेषश्मैनुअल की संख्या**	**अवषेष मैनुअल पूर्ण करने की तिथि**
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1–	कार्यालय, जिला उद्यान अधिकारी पीलीभीत	16	–	–